न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 32/2022

आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 201—202, 2 द्वितीय तल साउथेंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर —302020

...... प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामप्रताप सैनी पुत्र श्री प्रभात सैनी, पता—31, मालीपाडा, गोविन्दपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान, दूसरा पता— पटटा संख्या 50, बुक सं. 3, मिसल सं.22 ग्राम सैंथल, पंचायत समिति, दौसा राजस्थान। (ऋणी व बंधककर्ता)
2. श्रीमती तीजा देवी सैनी पत्नि श्री रामप्रताप सैनी, पता—31, मालीपाडा, गोविन्दपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान (सह ऋणी)
3. श्री दीपक सैनी पुत्र श्री श्री रामप्रताप सैनी, पता—31, मालीपाडा, गोविन्दपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान (सह ऋणी)
4. श्री कमलेश सैनी पुत्र श्री श्री रामप्रताप सैनी, पता—31, मालीपाडा, गोविन्दपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान (सह ऋणी)
5. श्री राजू सैनी पुत्र श्री श्री रामप्रताप सैनी, पता—31, मालीपाडा, गोविन्दपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान (सह ऋणी)
6. श्री छोटेलाल सैनी पुत्र श्री कजोड मल सैनी पता—31, मालीपाडा, गोविन्दपुरा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान (जमानती)

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री दिनेश जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक: 08.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 5,50,000/—(रूपये पांच लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हार्इपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.**2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.16 10:09:18 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ... 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्री रामप्रताप सैनी पुत्र श्री प्रभात सैनी की संपत्ति जो कि पटटा संख्या 50, बुक सं0 3, मिसल सं0 22, दायर दिनांक 20.6.2008, संकल्प संख्या 10, दिनांक 20.8.2008 केरा की ढाणी, ग्राम सैंथल, पंचायत समिति, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राज0 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका बिल्टअप एरिया 413.11 वर्गगज एवं सुपर बिल्टअप एरिया 413.11 वर्गगज है जो कि थाना सैंथल के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.16 10:09:18 IST
Reason: SelfAttested